

कमांक/सीडर/2024/2024/333

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 333/2024 अनवान मोत्या देवी पत्नी स्व. हरलाल मीणा निवासी बिन्ध्याभाटा बनाम उर्मिला पुत्री मोडू मीणा निवासी बिन्ध्याभाटा, नारायण पिमता हरदेव मीणा निवासी बिन्ध्याभाटा, हरिसिंह पिता मोडू मीणा निवासी बिन्ध्याभाटा, रामघणी पुत्री मोडू मीणा निवासी बिन्ध्याभाटा, लाली पत्नी मोडू मीणा निवासी बिन्ध्याभाटा, की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम बिन्ध्याभाटा प.ह. बिन्ध्याभाटा आराजी सं. 1741 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3843 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 3848 रकबा 0.1619 हैक्टेयर व आराजी संख्या 0.3881 रकबा 0.1781 कुल किता 4 रकबा 0.6718 व ग्राम बिन्ध्याभाटा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी संख्या 1742 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, आराजी. खसरा संख्या 1743 रकबा 0.4856 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.5503 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिती में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

मोत्या देवी पत्नी स्व. हरलाल मीणा निवासी बिन्ध्याभाटा
बनाम

उर्मिला पुत्री मोडू मीणा निवासी बिन्ध्याभाटा वगैरह

मुकदमा नंबर 333/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
13/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम बिन्ध्याभाटा प.ह. बिन्ध्याभाटा आराजी सं. 1741 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3843 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 3848 रकबा 0.1619 हैक्टेयर व आराजी संख्या 0.3881 रकबा 0.1781 कुल किता 4 रकबा 0.6718 व ग्राम बिन्ध्याभाटा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी संख्या 1742 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 1743 रकबा 0.4856 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.5503 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम बिन्ध्याभाटा प.ह. बिन्ध्याभाटा आराजी सं. 1741 रकबा 0.2428 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3843 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 3848 रकबा 0.1619 हैक्टेयर व आराजी संख्या 0.3881 रकबा 0.1781 कुल किता 4 रकबा 0.6718 व ग्राम बिन्ध्याभाटा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी संख्या 1742 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, आराजी खसरा संख्या 1743 रकबा 0.4856 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.5503 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 200रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलें न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा